


फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जमशु)

कौशल्या बनाम रमेशी वर्मा

संख्या/वर्ष

183 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/11/19	<p>प्राथमिक कौशल्या देवी ने स्वयं उपरोक्त होकर एक प्रार्थना पत्र विद्या का पेश करने पर पत्रपत्नी पेश करने के बाद प्रार्थना ने आदेशिका पर अंशुला निवासी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त किमा कि प्रकार के आज ही तप कर प्रकार के आगे चलाना गरी चाली हूँ विद्या कर स्वीकार किमा आये। स्वीकृत प्रार्थना की खस सुगन के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किमा जाय है तथा प्रकार के विद्या करने की स्वीकृति उदात्त की जाती है। तथा प्रार्थना पत्र धार्य 21217 अथ को स्वीकार किमा जाय है। पत्रपत्नी केशल कुमार होकर नम्बर के का हो। बाद में दायित्व स्वर हो। किमा पत्र न्यायालय सुलभ राफ।</p>	<p style="text-align: center;">  कौशल्या देवी विनोद कुमार शर्मा </p>

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

